<u>न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, सह विशेष न्यायाधीश, बिहारशरीफ, नालन्दा</u>।

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 263/2026

शंकर चौधरी बिहार सरकार

अस्थावां थाना कांड संख्या 420/2025

अंतर्गत धारा 126(2), 115(2), 109(1), 351(2), 352, 3(5) B.N.S

<u>10.03.2026</u>

अभियुक्त **शंकर चौधरी** की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन पर बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता श्री अभिनव आनंद तथा विद्वान लोक अभियोजक श्री अनुज कुमार का तर्कपूर्ण बहस सुना ।

अभियोजन का वाद संक्षेप में यह है कि दिनांक 21.12.2025 को समय करीब 04:00 बजे सूचिका अपने घर के पास कुल्ला कर रही थी। तभी उनके गांव के दीपू चौधरी एकाएक आकर गाली–गलौज करने लगे। विरोध करने पर बोले कि तुम कुल्ला क्यों फेंक रही हो और दीपू चौधरी, धीरज चौधरी एवं शंकर चौधरी तीनों आए और रड से मारे जिससे वह बेहोश होकर गिर पड़ी। जब उनके पति उपेन्द्र चौधरी बचाने आए तो तीनों मिलकर लाठी–डंडा और रड से उनके सर पर मारने लगे। जब हल्ला सुनकर उनके पुत्र कौशल कुमार एंव रौशन कुमार आए तो उन्हें भी मारपीट किए जिससे कौशल कुमार का हाथ पर चोट लग गया एवं रौशन कुमार का माथा फट गया ।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक निर्दोष है, उन्हे झूठे व गलत आधार पर इस वाद में फंसा दिया गया है । आवेदक की ओर से इस जमानत आवेदन के अलावा और कोई जमानत आवेदन इस न्यायालय या कोई वरीय न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। उभयपक्ष आपस में गोतिया है । प्रस्तुत वाद का एक प्रति कांड दर्ज है। बी0एन0एस0 की धारा 109(1) को छोड़कर अन्य धाराएं जमानतीय प्रकृति के है। उक्त धाराओं का अभियोग आवेदक के विरूद्ध बनता प्रतीत नहीं होता है क्योंकि दोनो पक्षों के लोग जख्मी हुए है। उनका यह भी कथन है कि आवेदक के विरूद्ध मारपीट का कोई विशिष्ट आरोप नहीं लगाया गया है तथा लगाए गए आरोप सामान्य एवं बहुप्रयोज्य है। इस वाद के सह–अभियुक्त को पूर्व में इस न्यायालय द्वारा नियमित जमानत आवेदन स0 64/26 के माध्यम से जमानत का लाभ प्रदान किया गया है। आवेदक को पुलिस द्वारा गिरफतार होने की संभावना है। अतः इन्हें जमानत का लाभ प्रदान किया जाय ।

विद्वान लोक अभियोजक आवेदक के उक्त जमानत आवेदन का विरोध करते हैं तथा कथन करते हैं कि इस वाद के सह–अभियुक्त को पूर्व में इस न्यायालय द्वारा जमानत का लाभ प्रदान किया गया है।

उभय पक्षों को सुनने के पश्चात अभिलेख एवं कांड दैनिकी का अवलोकन किया और पाया कि उभयपक्ष सह–ग्रामीण है। प्रस्तुत वाद का एक प्रति कांड दर्ज है, जिसमें दोनों पक्षों के लोग जख्मी हुए हैं । यह भी विदित होता है कि आवेदक के विरूद्ध

<u>न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, सह विशेष न्यायाधीश, बिहारशरीफ, नालन्दा</u>।

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 263/2026

शंकर चौधरी बिहार सरकार

अस्थावां थाना कांड संख्या 420/2025

अंतर्गत धारा 126(2), 115(2), 109(1), 351(2), 352, 3(5) B.N.S

<u>लगातार</u>

10.03.2026

मारपीट करने का कोई विशिष्ट आरोप नहीं लगाया गया है, लगाए गए आरोप सामान्य व बहुप्रयोज्य है। कांड दैनिकी में जख्मियों के जख्म प्रतिवेदन का उल्लेख है, जिसमें चिकित्सक द्वारा जख्म को कड़े व भोथरे पदार्थ से कारित साधारण प्रकृति का पाया गया है । यह वाद Free-Fight का है । इस वाद के सह–अभियुक्त को पूर्व में इस न्यायालय द्वारा नियमित जमानत आवेदन स0 64/26 के माध्यम से जमानत का लाभ प्रदान किया गया है।

अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर पूर्ण विचार करते हुए आवेदकगण को आदेश पारित होने के एक माह के अंदर, विचारण न्यायालय में आत्मसमर्पण करने या पुलिस द्वारा अभिरक्षा में लिये जाने पर, संबंधित विचारण न्यायालय के संतुष्टि पर, बी0एन0एस0एस0, 2023 की धारा 482 में उल्लेखित शर्तों के अधीन, आवेदकगण को 10,000/– रु0 के जमानत तथा उसी राशि के समतुल्य दो प्रतिभूओं वाले बंधपत्र निष्पादित करने के उपरांत जमानत पर मुक्त किये जाने का आदेश प्रदान किया जाता है।

(लेखापित एवं संशोधित)

(संजीव कुमार सिंह)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम
सह विशेष न्यायाधीश
नालन्दा, बिहारशरीफ।